

अनुमण्डल कार्यालय, पश्चिम, मुजफ्फरपुर
(विधि प्रशाखा)

पत्रांक-1360/विधि

दिनांक-3/3/2012

प्रेषक,

अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

श्री नजरूल होदा,
अध्यक्ष,
ग्रामीण एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाईटी, करनाल ।
वर्तमान नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी धनवत, थाना सरैया,
जिला मुजफ्फरपुर ।


विषय : सम्परिवर्तन की अनुमति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शैक्षणिक संस्थान हेतु नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी धनवत, सरैया, मुजफ्फरपुर के सम्परिवर्तन की अनुमति का प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जाता है ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन


अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।

बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2011

प्रपत्र-7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रमाण-पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा-3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है :-
भूमि की विवरणी:-

1	जिला का नाम	:	मुजफ्फरपुर				
2	अनुमंडल का नाम	:	मुजफ्फरपुर, पश्चिम				
3	अंचल का नाम	:	सरैया				
4	रैयत का नाम	:	नजरूल होदा, अध्यक्ष, ग्रामीण एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाईटी, करनाल । वर्तमान नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गोपी धनवत, थाना सरैया, जिला मुज०				
5	राजस्व ग्राम का नाम	:	गोपी धनवत				
6	राजस्व थाना संख्या	:	543				
7	खाता संख्या	:	266	217	79	287	73
8	खेसरा नं०	:	662	663	665	666	668
9	गैर कृषि प्रयोजना में प्रयुक्त किया जानेवाला रकवा (डी० में)	:	10	9	17.5	58	5.5
10	चौहद्दी	:	2086-चौहद्दी उत्तर-राम प्रमोद सिंह वो जोगेन्द्र महतो वगैरह दक्षिण-सड़क पक्की वो मंदिर व प्राथमिक वि० पूरब-अखिलेख सिंह वो अरविन्द सिंह वगैरह वो निरसन ठाकुर पश्चिम-निज बिक्रेता				
11	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	:	शैक्षणिक संस्थान				
12	सम्पत्तिवर्तन के उपरांत देय वार्षिक लगान	:	750.00 रुपये				

अनुमंडल पदाधिकारी,
पश्चिम, मुजफ्फरपुर ।

जिला... मुजफ्फरपुर

दिनांक... 03/3/12